Seventeenth Loksabha

an>

Title: Regarding Demand for funds and NGT clearance for the AMU centre in Kishanganj.

डॉ. मोहम्मद जावेद (किशनगंज) : माननीय सभापति महोदय, यह दूसरा मुद्दा है। जो एएमयू शाखा है और उसके साथ में जो पुलिस लाइन है, उसमें एनजीटी से रोक है, क्योंकि किसी ने शिकायत की है कि वह नदी किनारे है। उसे देखते हुए वर्ष 2017 में एनएमजीसी से यह निर्देश दिया गया कि उसकी साइंटिफिक स्टडी एक्सपर्ट्स के द्वारा करा दी जाए। 21 नवम्बर, 2019 को उस रिपोर्ट को एनएमजीसी को दिया गया, जिसमें यह बताया गया कि that area does not fall on the floodplains nor does it fall on the riverbed. उसके अलावा इन सब मुद्दों को देखते हुए बिहार सरकार और एनएमजीसी द्वारा कई मीटिंग्स यह डिमार्क करने के लिए हुईं कि कौन-सा फ्लड प्लेन है?

बिहार सरकार और एनएमजीसी की जल शक्ति संबंधी मीटिंग्स सितम्बर, 2022 में हुईं। उसमें बिहार सरकार ने यह कहा कि 76 per cent of the land area in North Bihar wherein two-thirds of Bihar residents which is approximately 8.5 crores,रिवर बेड पर है। उन 8 करोड़ लोगों में से 50 per cent of the people staying in Bihar रिवर बेड पर हैं। इसे देखते हुए यह रिपोर्ट की गयी कि यह फिसिबिलिटी रिपोर्ट करना बिहार में संभव नहीं है। उसके अलावा इसे देखते हुए बिहार सरकार के बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने लॉ चेंज करते हुए फरवरी, 2022 में यह निर्धारित किया कि गंगा किनारे निर्माण कम से कम 25 मीटर दूर होना चाहिए और ट्रिब्यूट्रीज में कम से कम 30 मीटर दूर होना चाहिए।

अत: मेरा कहना यह कि किशनगंज में जो एएमयू शाखा और पुलिस लाइन है, उसकी रिपोर्ट के आधार पर it does not fall either on the riverbed or on the floodplains. मेरी आपके माध्यम से जल शक्ति मंत्रालय से गुजारिश है कि इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल कराया जाए, ताकि वहां पर फंड दिया जा सके, कंस्ट्रक्शन हो सके और हमारे बच्चे पढ़ सकें। धन्यवाद।